

23.10.24

वकील जगदीश उपस्थित। विद्यार्थी संख्या 2 के
 वकील उपस्थित। वकील विद्यार्थी ने अंतर्गत कारणों
 कि विद्यार्थी संख्या 01 का पेंशन वर्ष 2017 के
 आने के उपरान्त ही कांस्टीबल वकील जगदीश द्वारा
 फौजदारी खतना नहीं की गई है। इसी कारण
 सिविल कोर्ट चलने योग्य नहीं है। प्रकरण से (अपवैध)
 भ्रष्टाचार का अपरोक्ष किना तथा अंतर्गत प्रकरण
 का वास्तविक पूर्वक केवलोफर किना। अतिसर
 पाया कि विद्यार्थी संख्या 01 का पेंशन डूब
 लगभग 07 वर्ष के अक्षय्य प्रमाण प्रस्तुत होने
 के उपरान्त वारिसान को खर्चे पर होने की कार्यवाही
 नहीं की गई। जैसी अंतर्गत प्रकरण को
 चलने योग्य नहीं होने के कारण खतना किना
 जात है प्रत्येकी अक्षय्य अक्षय्य अक्षय्य
 कारण है।

सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) बालोतरा
 23/10/24